

धेष्क,

किशन सिंह अटोरिया,

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

श्रावस्ती।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 26 जून, 2014

विषय - वर्ष 2013 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पतियों की मरम्मत हेतु अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जनपद श्रावस्ती में वर्ष 2013 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पतियों की मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या- 3216/1-10-2013-12(34)/13, दिनांक 14.12.2013 द्वारा जिला स्तरीय आपदा राहत समिति से अनुमोदित प्रा०ख० लोक निर्माण विभाग के 52 कार्यों की मरम्मत हेतु रु० 17,99,45,000/- के सापेक्ष 25 प्रतिशत की धनराशि रु० 4,49,85,500/- प्रथम किशत के रूप में स्वीकृत की गयी थी। इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-1593/आपदा-तेरह-2014-15, दिनांक 01.05.2014 में किए गए अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए प्रा०ख० लोक निर्माण विभाग, श्रावस्ती के 52 कार्यों की मरम्मत हेतु सम्पूर्ण आगणन (जो नीचे उल्लिखित है) के प्रथम किशत की अवशेष 25 प्रतिशत धनराशि रु० 4,49,85,500/- (कुल रुपये चार करोड़ उन्चास लाख पच्चासी हजार पाँच सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्रमांक	कार्य का नाम	आगणन (लाख में)
1	एन०एल०एस०एच० मार्ग के किमी० 39 एवं 42 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	49.87
2	एन०एल०एस०एच० मार्ग के किमी० 54(600) के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	14.19
3	एन०एल०एस०एच० मार्ग के किमी० 52.53 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	48.42
4	बहराड़च-ककरदरी मार्ग के किमी० 22.23 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	28.08

5	बहराइच-ककरदरी मार्ग के किमी0 38.41.42 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	49.12
6	डिगरा काशीपुर सूसा सम्पर्क मार्ग के किमी0 1, 2 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	33.55
7	नीवाभारी के भवानी नगर सम्पर्क मार्ग के किमी0 1, 2 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	47.46
8	विभूतिनाथ मन्दिर सम्पर्क मार्ग के किमी0 1, 2 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	49.56
9	महदेइया मार्ग से मिश्रीपुरवा सम्पर्क मार्ग के किमी0 1, 2 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	49.53
10	कटरा मथुरा मार्ग से महागंगकोल होते हुए चक भण्डार सम्पर्क मार्ग के किमी0 1, 2 (100) के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	49.54
11	खाकीदासपुरवा रहमुनिया चेतिया सम्पर्क मार्ग के किमी0 1, 2, 3 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	49.79
12	हरवशपुर चौराहा से रानीपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0 1, 2 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	25.76
13	हरवशपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0 3.4.5 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	36.89
14	झिरझिरवा सम्पर्क मार्ग के किमी0 1, 2(300) के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	15.63
15	पटपरगंज से देवरा सम्पर्क मार्ग के किमी0 1, 2, 3 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	39.58
16	पटपरगंज से देवरा सम्पर्क मार्ग के किमी0 4, 5 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	28.36
17	भरथा बेलभरिया सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	14.17
18	बहराइच-भिनगा मुख्य मार्ग सिसवा से हरिहरपुररानी सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	30.97
19	पाण्डेयपुर इकौना सम्पर्क मार्ग के किमी0-9 से पुरनिया सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	30.11
20	भिनगा लक्ष्मनपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0-14 से बनघुसरी सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	28.60
21	गोतवा से जौगढ सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	17.50
22	लालपुर अयोध्या से बहादुरपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0 3 व 4 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	28.10
23	मुतहा सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	20.84
24	जानकीनगर सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	25.95
25	रामपुर भरथा सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	37.32
26	बहराइच-ककरदरी मार्ग के किमी0 17.18 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	25.07
27	नदईडीह सम्पर्क मार्ग के किमी0 1,2,3,4 (650) के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	49.60

28	सम्पर्क प्रहलाद सम्पर्क मार्ग के किमी० 1.2 (200) के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	22.25
29	सम्पर्क श्रीनगर सम्पर्क मार्ग के किमी० 1.2 (500) के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	28.66
30	बहराइच-ककरदरी मार्ग के जमुनहा ब्लॉक तक सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	32.62
31	बहोरवा सम्पर्क मार्ग के किमी० 1.2 (500) के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	28.59
32	परवपुर सम्पर्क मार्ग के किमी० 1.2 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	43.43
33	एन०एल०एस०एच० मार्ग के किमी० 59 से रेडगवा सम्पर्क मार्ग के किमी-1 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	22.62
34	एन०एल०एस०एच० मार्ग के किमी० 63 से भिखारीपुर पसदी सम्पर्क मार्ग के किमी-1.2 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	45.19
35	कोलाभार मजगवा सम्पर्क मार्ग के किमी० 1.2 (500) के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	34.70
36	रामपुर पटेल सम्पर्क मार्ग के किमी० 1.2,3 (500) के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	48.47
37	मैनिहवा गांव सम्पर्क मार्ग के किमी० 1.2 (200) के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	26.99
38	बिदुहनी सम्पर्क मार्ग के किमी० 1.2 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	38.18
39	डिगुराजोत सम्पर्क मार्ग के किमी० 2 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	49.69
40	राजापुर लखैया से नीवाभारी नकहा सम्पर्क मार्ग के किमी० 5 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	17.55
41	बनकटवा महोली सम्पर्क मार्ग के किमी० 1 एवं 2 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	39.51
42	ककरदरी-चौधरीडीह सम्पर्क मार्ग के किमी० 70 एवं 72 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	39.66
43	सर्रा बोझी सम्पर्क मार्ग के किमी० 1 एवं 2 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	39.60
44	रामपुर भरमा सम्पर्क मार्ग के किमी० 1 एवं 2 के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	36.12
45	पी०बी०बी० मार्ग के किमी०-54 से दिशनापुर लोहटी सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	49.52
46	एन०एल०एस०एच० मार्ग के किमी० 52 से भितौरा राम सहाय सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	24.26
47	बागवानी से मीरा मऊ सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	47.52
48	पचदेवरी सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	18.68
49	बागवानी सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	28.49

50	नगरीरा से मनेकापुर खुर्द सम्पर्क मार्ग के मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	45.96
51	मनोहरापुर सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 में मरम्मत/रेस्टोरेशन का कार्य	29.15
52	पाण्डेयपुर इकाँना सम्पर्क मार्ग के किमी0-14 में क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर 2x6.00 मी0 आर0सी0सी0 पुल का पुनर्निर्माण कार्य	38.58
कुल योग		1799.45

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अहं एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यवाही विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यवाही विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि उक्त कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अहं मानक मर्दों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कड़े मानक मर्दों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति

के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सौदी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

9- उक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तिकाबद्ध कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,



(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

IC

संख्या- 503 (1)/1-10-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 50प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, 50प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, 50प्र0 लखनऊ।

- 4- आयुक्त, देवीपाटन मण्डल ।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन ।
- 7- उप निदेशक, (सामान्य) एन0आई0सी0 योजना श्रवण, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, श्रावस्ती ।
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 12- गाई फाइल ।

आज्ञा से,

 (मदन मोहन)
 अनु सचिव ।
 w